संख्या-13/2023/94/सैंतीस-2-2023/002-5(2)/2018

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-03 फरवरी, 2023

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना योजनान्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-27/सा0-2/बारह-619/2020-21, दिनांक-09.01.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-89/2022/1540/सैंतीस-2-2022/002-5(2)/2018, दिनांक-23.08.2022 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना योजनान्तर्गत 05 गो-संरक्षण केन्द्रों के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में प्रति केन्द्र रू0-60.00 लाख की दर से कुल रू0-300.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के संलग्नक में क्रमांक-3 पर अंकित वृहद् गो संरक्षण केन्द्र मीसा रूदौली, जनपद अयोध्या के स्थान पर वृहद् गो संरक्षण केन्द्र पदारथपुर, जनपद सुल्तानपुर पढ़ा जाये।

2- शासनादेश दिनांक-23.08.2022 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-13/2023/94(1)/सैंतीस-2-2023/002-5(2)/2018, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. सचिव, उ0प्र0 गोसेवा आयोग, लखनऊ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।